भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

20.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 548 का उत्तर

मानव रहित समपार

548. श्री चन्देश्वर प्रसादः
सुश्री नुसरत जहां रूहीः
श्री राहुल कस्वां:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में सभी मानव रहित और मानवयुक्त रेल समपार पर रेल उपरिपुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन रेल उपरिपुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के संबंध में इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर बिहार और बीकानेर डिवीजन में निर्मित होने वाले ऐसे पुलों की संख्या का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि रेल समपार को अनावश्यक रूप से बंद रखा जाता है और इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये के डीजल की बर्बादी होती है; और

(ङ) नियमानुसार रेलगाड़ियों के आने और जाने से पहले रेल समपार को पार करने की समय- सीमा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

मानव रहित समपार के संबंध में 20.11.2019 को लोक सभा में श्री चन्देश्वर प्रसाद, सुश्री नुसरत जहां रूही एवं श्री राहुल कस्वां के अतारांकित प्रश्न सं. 548 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): बड़ी आमान पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को जनवरी, 2019 तक समाप्त कर दिया गया है।

बहरहाल, चौकीदार वाले समपार पर, यदि यातायात घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन यूनिट (टीवीयू) से अधिक होता है, तब इन समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) को लागत भागीदारी के आधार पर निर्मित किया जा रहा है बशर्ते राज्य सरकार से समपार को समाप्त करने और लागत में भागीदारी करने की सहमति प्राप्त हो।

आरओबी का मंडल-वार डाटा नहीं रखा जाता है। पिंक बुक 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित लागत भागीदारी आधार पर स्वीकृत आरओबी का राज्य-वार ब्यौरा परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

सामान्यत:, रेलवे अपने हिस्से में आरओबी का निर्माण करती है जबकि पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। सामान्यत:, रेलवे के हिस्से में आरओबी के निर्माण में कोई समस्या नहीं होती। तथापि, इनकी समय-सीमा तय करना कठिन है क्योंकि पहुंच मार्गों पर आरओबी का निर्माण, भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमण हटाने, पहुंच मार्गों का संरेखण निर्धारित करने, अपेक्षित धनराशि का आबंटन आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करता है।

(घ): समपारों को अनावश्यक रूप से बंद नहीं किया जाता है। इन्हें गाड़ी अथवा गाड़ियों अथवा रेलवे के किसी अन्य परिचालन के लिए सुरक्षित मार्ग सड़क यातायात हेतु बंद किया जाता है। ये रेल और सड़क उपयोगकर्ता दोनों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

(ङ): रेलवे समपारों को पार करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

*****

मानव रहित समपार के संबंध में 20.11.2019 को लोक सभा में श्री चन्देश्वर प्रसाद, सुश्री नुसरत जहां रूही एवं श्री राहुल कस्वां के अतारांकित प्रश्न सं. 548 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट।

(क) से (ग): लागत भागीदारी आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुल (आरओबी) की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	ऊपरी सड़क पुल
1	आंध्र प्रदेश	66
2	असम	1
3	बिहार	119
4	छतीसगढ़	29
5	दिल्ली	4
6	गोवा	3
7	गुजरात	127
8	हरियाणा	74
9	जम्मू एवं कश्मीर	1
10	झारखंड	41
11	कर्नाटक	42
12	केरल	109
13	मध्य प्रदेश	92
14	महाराष्ट्र	102
15	ओडिशा	42
16	पुदुचेरी	5
17	पंजाब	18
18	राजस्थान	62
19	तमिलनाडु	148
20	तेलंगाना	45
21	उत्तर प्रदेश	312
22	उत्तराखंड	6
23	पश्चिम बंगाल	87
	कुल	1535

****